पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 13, अंक 3/2012

...✍ उपभोक्ता पहचाने अपने अधिकार

आज उदारीकरण की अर्थव्यवस्था ने आम उपभोक्ता के लिए पूरे वैश्विक बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं। बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों ने उपभोक्ताओं के लिए जहां कई अवसर सुलभ कराए हैं, वहीं उन्हें बहुत सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रतिस्पर्धा, वस्तुओं की गुणवत्ता और बढ़ता विज्ञापनों का दायरा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चयन के अलावा अन्य कई मायनों में काफी कुछ सोचने को मजबूर करता है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों के ताने-बाने को मजबूत करने में सरकारें, अनेक स्वयंसेवी सस्थाएं व उपभोक्ता संगठन सक्रिय और समर्पित भाव से लगे हैं।

भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। आम उपभोक्ता को अधिकार मिले, न्याय प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मंचों का गठन हुआ। समय-समय पर अधिनियम में संशोधन कर उपभोक्ताओं को और अधिक सशक्त बनाने के प्रयास भी हुए। शोषण के खिलाफ उपभोक्ता अपनी आवाज उठाने लगा। नतीजतन सेवा प्रदाता एवं व्यापारी वर्ग की उपभोक्ता के प्रति सोच में भी बदलाव आया। फलस्वरूप उपभोक्ता की शिकायतों के कई मामले तो उपभोक्ता मंचों के बजाय अपने आप सीधे निपटने लगे।

देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को बने 26 साल पूरे होने को आए। लेकिन अभी भी यह उभरकर सामने आ रहा है कि उपभोक्ता शिक्षा के अभाव में आमजन कानून की पेचीदगियों को समझ पाने में काफी पीछे हैं। बड़ी संख्या में शहरी व खासतौर से ग्रामीण उपभोक्ताओं तक कानून के बारे में जानकारी तक नहीं पहुंच पाई है। अभी उन्हें जागरूक करना बाकी है। अब समय आ गया है कि उपभोक्ता खुद अपने अधिकारों को पहचाने। इसके लिए सरकार व उपभोक्ता संस्थाओं को सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा।

इस अंक में...

- वोट की राजनीति से सभी दल बेबस 3
- कई मंत्रियों की सम्पति में भारी इजाफा 4
- 'मनरेगा' है लोकप्रिय और सफल योजना 7
- बिजली ने लगाया जोर का झटका 8
- अनमोल है कन्या रत्न 10

राजस्थान में केवल 16 फीसदी उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक

राजस्थान अभी भी उपभोक्ता अधिकारों की जागरूकता के मामले में पीछे है। प्रदेश में केवल 16 फीसदी उपभोक्ता ही अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, जबकि भारत में यह 42 प्रतिशत है तथा 20 फीसदी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जानते हैं।

कट्स इंटरनेशनल द्वारा केन्द्रीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सहयोग से संचालित परियोजना कन्ज्यूमर्स अप के तहत किए गए राष्ट्रीय उपभोक्ता सर्वेक्षण में ऐसे अनेक तथ्य सामने आए हैं। इस क्षेत्रीय सर्वेक्षण में 19 राज्यों एवं 3 केन्द्र शासित प्रदेशों के 88 जिलों के 11 हजार 499 उपभोक्ता शामिल हैं, जिनमें 53 फीसदी पुरुष व 47 फीसदी महिलाएं हैं। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि देशभर में उत्तरदाताओं के 7 फीसदी उपभोक्ताओं ने ही अभी तक शिकायत दर्ज की है और उनमें से केवल 0.3 फीसदी उपभोक्ता ही उपभोक्ता मंच तक गए। राजस्थान में 29 फीसदी उत्तरदाता वर्तमान शिकायत निवारण प्रणाली से सन्तुष्ट हैं।

संस्था के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने सर्वेक्षण से उभरे इन आंकड़ों को जयपुर में 13 सितम्बर को आयोजित एक विचार-विमर्श बैठक के दौरान मुख्य भागीदारों के सामने रखते हुए अपने प्रारम्भिक सम्बोधन में कहा कि यह सर्वेक्षण उपभोक्ता अधिनियम, 1986 के 25 वर्ष पूर्ण होने पर भारत में उपभोक्ताओं की जागरूकता का स्तर और उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को मापने के लिए किया गया है, जो कि इस परियोजना का खास मकसद रहा है। उन्होंने बताया कि हालांकि सर्वेक्षण से उभरे कई मुद्दे प्रोत्साहित करने वाले हैं। जैसे पांच साल पहले देश में उपभोक्ता जागरूकता का स्तर केवल 18 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 42 फीसदी हो गया है।

कट्स इंटरनेशनल के अध्यक्ष व राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव एम.एल. मेहता ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सर्वे से प्राप्त नतीजों से यह जाहिर होता है कि लोगों में उपभोक्ता कानून के बारे में व्यापक जानकारी का अभाव है। जबकि यह कानून उपभोक्ताओं की भलाई के लिए है। उन्होंने शिकायत दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता जताते हुए वैज्ञानिक सर्वेक्षण और उपभोक्ताओं की पैरवी पर जोर दिया।

विचार विमर्श बैठक में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के सदस्य, विभिन्न विभागों जैसे सेबी, आर.ई.आर.सी, ट्राई, भारतीय मानक ब्यूरो, आर.बी.आई, उपभोक्ता संगठनों व मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा विचार विमर्श के दौरान महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

मनरेगा श्रमिकों को मिले काम के बदले पूरी मजदूरी

गांवों में बेरोजगार लोगों के लिए मनरेगा योजना एक वरदान है। इस योजना में ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिन का काम मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। प्राय: नरेगा श्रमिकों की यह शिकायत आती है कि उन्हें पूरा काम करने के बाद भी समय पर पूरी मजदूरी नहीं मिलती। ऐसी शिकायतों का समय पर निपटारा किया जाना जरूरी है।

पंचायत राज मंत्री के सलाहकार डॉ.पी.आर.शर्मा ने उक्त विचार जयपुर जिले के माधोराजपुरा ग्राम पंचायत के गणेश बालोद्यान में कट्स व सजग संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बैठक को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा महिला लाभार्थियों की समस्याएं सुनी और कहा कि मनरेगा श्रमिकों को काम के बदले पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए।

इस अवसर पर फागी खंड विकास अधिकारी बी. आर. बलाई ने कम मजदूरी मिलने की शिकायतों के निवारण के लिए पांच-पांच महिलाओं के स्थायी समूह बनाने की बात कही। इस दौरान सहकारी भूमि विकास बैंक के जिलाध्यक्ष लादूराम चौधरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयुक्त सचिव भागचन्द कासलीवाल, भांकरोटा ग्राम पंचायत सरपंच रतनलाल मीणा, डाबिच ग्राम पंचायत सरपंच सीता चौधरी, कट्स के परियोजना समन्वयक मधुसूदन शर्मा, परियोजना अधिकारी आरती पाण्डेय तिवारी एवं सजग के समन्वयक सुरेश सैनी आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में गीत के माध्यम से महिलाओं को उनके नरेगा अधिकारों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में 175 महिला श्रमिकों ने भाग लिया।

मेटों को दिया कार्यकुशलता का प्रशिक्षण

मनरेगा के सफल क्रियान्वयन में मेटों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसी भूमिका को ध्यान में रखकर परियोजनान्तर्गत माधोराजपुरा ग्राम पंचायत में मेटों को एक दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मेटों को उनकी सकारात्मक भूमिका की जानकारी प्रदान की गई एवं बताया गया कि मेट मनरेगा मजदूरों के एक सखा या दोस्त की तरह होता है जो कि उनको कार्यस्थल पर कार्य आवंटन, कार्य मापन, कार्यानुसार मजदूरी निर्धारण, जोब कार्ड से सम्बन्धित सूचनाओं का इन्द्राज करने व मनरेगा के विभागीय आदेशों व नियमों की समय-समय पर मनरेगा मजदूरों को जानकारी प्रदान करने आदि में एक सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। उन्हें आगे बताया गया कि मेट, समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में भी मनरेगा मजदूरों व प्रशासन के बीच सेतु का कार्य भी करता है। उन्हे विभागीय शिकायत निवारण प्रक्रियाओं व मनरेगा की हेल्पलाइन के बारे में भी विस्तार से बताया गया।

प्रशिक्षण में भाग ले रहे मेटों ने भी अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत में मेटों को विभागीय प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, अत: उन्हें इनकी प्रभावी भूमिका के बारे में इस प्रशिक्षण से पहले पता नहीं था। अब वो प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेंगे तथा इनकी जानकारी आम आदमी को भी प्रदान करेंगे।

श्रमिकों को दी हेल्पलाइन की जानकारी

कट्स द्वारा संचालित 'सिटीजन्स अप' परियोजना के तहत जयपुर व टोंक जिलों में मनरेगा मजदूरों को, विशेष रूप से महिलाओं को हेल्पलाइन की विस्तृत जानकारियां प्रदान की जा रही है। इससे वे अपनी समस्याओं को हेल्पलाइन पर सीधे दर्ज करवा रही हैं। फलस्वरूप उन्हें मनरेगा की सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत श्रमिक परिवारों के पंजीकरण, रोजगार कार्ड निर्माण, रोजगार की मांग, रोजगार पाने, मजदूरी भुगतान, बैंक डाकघर में खाता खोले जाने आदि के संबंध में कोई भी समस्या या शिकायत के निराकरण हेतु राज्य स्तरीय हेल्पलाइन की व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।

कैसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत

हेल्पलाइन द्वारा नरेगा की सेवाएं सहजता से व घर बैठे प्राप्त की जा सकती है, इस हेतु सर्वप्रथम मनरेगा हेल्पलाइन पर फोन करके अपनी शिकातय दर्ज करवानी होगी तथा शिकायत नंबर, जो कि हेल्पलाइन कर्मियों द्वारा दिये जाते हैं, प्राप्त करने होंगे।

नरेगा हेल्पलाइन

1800 180 6606

इस प्रकार प्राप्त शिकायत नंबरों को सावधानीपूर्वक रखना चाहिए क्योंकि इन नंबरों से ही दर्ज शिकायत पर की गई कार्यवाही के बारे में हेल्पलाइन पर आगे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित

'ग्रेनिर्का' परियोजना अन्तर्गत जुलाई माह में धौलपुर, कोटा, दौसा, अलवर टोंक व चित्तौड़गढ़ में; अगस्त माह में जोधपुर, चूरू, जालौर, सीकर व बूंदी में तथा सितम्बर माह में बांसवाड़ा में दो-दो दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गई। इन कार्यशाालाओं से प्रशिक्षणार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम व उसके अन्तर्गत शिकायत निवारण प्रक्रिया तथा अधिकारों व दायित्वों की जानकारी दी गई।

ये कार्यशालाएं जिला पार्टनरों के सहयोग से आयोजित की गई, जिनमें स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ता, मीडिया, सम्बन्धित विभागों के अधिकारी, संदर्भ व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

इन प्रशिक्षण कार्यशाालाओं में सम्बन्धित जिलों के प्रत्येक ब्लॉक से आये भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें धरातल स्तर पर सक्रिय रूप से उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु उनका क्षमतावर्धन किया गया।

उपभोक्ता कल्याण कोष का दुरुपयोग

राज्य में बने उपभोक्ता कल्याण कोष के पैसे से खाद्य विभाग के टेलीफोन, मोबाइल के बिल, गाड़ियों का पेट्रोल खर्च यहां तक कि बीपीएल गेहूं वितरण उद्घाटन समारोह तक के खर्चे चुकाए जा रहे हैं। पिछले तीन सालों में इस कोष के लगभग 2.19 करोड़ रुपए ऐसे कामों में खर्च कर दिए गए हैं, जिनका उपभोक्ता कल्याण से कोई सम्बन्ध नजर नहीं आता। यह स्थिति तो तब है जबकि एक बार पहले भी इस कोष के दुरुपयोग पर ऑडिट आपत्ति आ चुकी है।

इस कोष के तीन अकाउन्ट हैं और इन तीनों में दिसम्बर, 2008 से 2011 के बीच पौने दो अरब रुपए से ज्यादा राशि जमा हुई। नियमानुसार इस राशि का उपयोग सिर्फ उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रमों और गतिविधियों में ही किया जा सकता है। जबकि इसी कोष से सहकारी उपभोक्ता संघ लि.को 13 करोड़ रुपए दिए गए व खुद सरकार के खाते में 75 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। अर्थात कुल मिला कर कोष सरकार के मोटे खर्च निकालने का जरिया बना हुआ है। *(रा.प., 27.07.12)*

हम पिछड़े, दूसरे राज्यों में विकास की गंगा

शहरों के विकास की महत्वाकांक्षी योजना जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) में प्रोजेक्ट हासिल करने में प्रदेश न केवल पिछड़ गया, बल्कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण पिछले सात साल में दो ही प्रोजेक्ट पूरे हो पाए हैं। जब कि पड़ोसी राज्य गुजरात जहां 72 प्रोजेक्ट लेने में कामयाब रहा और उसने 37 पूरे भी कर लिए।

2005 में शुरू हुई जेएनएनयूआरएम के तहत पिछले सात साल में राजस्थान को 13 प्रोजेक्ट मिले। इनमें से जयपुर में बीआरटीएस कॉरिडोर का एक चरण व अजमेर में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ही पूरा हो पाया है, शेष 11 प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र की पहली किश्त मिलने के बाद अफसर उसके खर्च का हिसाब ही केन्द्र की नीति के तहत नहीं दे पाते, जिससे आगे की किस्त की राशि रोक दी जाती है और विकास के काम मिट्टी में मिल जाते हैं। *(दै.भा., 30.07.12)*

लोकायुक्त में लगा शिकायतों का ढ़ेर

चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार निवासी कमलनयन कारवानी ने सूचना के अधिकार के तहत लोकायुक्त सचिवालय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी ली तो सामने आया कि प्रदेश के लोकायुक्त सचिवालय में शिकायतों का पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति ही हुई। मांगी गई जानकारी से जो तथ्य लोकायुक्त सचिवालय से प्राप्त हुए हैं वह आमजन के लिए चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं।

पिछले छह वित्तीय वर्षों में सरकारी तंत्र से परेशान लोगों की लोकायुक्त सचिवालय को कुल 6 हजार 622 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से केवल 8 ही शिकायतों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई। यह कार्रवाई भी अन्तिम दो वर्षों में जाकर हुई। लोकायुक्त कार्यालय ने वर्ष 2009-10 में दो और 2010-11 में 6 शिकायतों पर कार्रवाई की अनुशंसा की। आंकड़ों से जाहिर होता है कि शिकायतों की तुलना में कार्रवाई कितनी कम की जा रही है। *(रा.प., 26.07.12)*

करोड़ों खर्च, रोजगार किसी को नहीं

युवाओं को पहले हुनर, फिर काम। यह दोनों मुहैया कराने के लिए बनी रोजगार सेवा निदेशालय की एक योजना लापरवाही का शिकार हो गई। इससे किसी को रोजगार तो मिला नहीं, लेकिन दो साल में तीन करोड़ रुपए की सरकारी रकम जरूर ठिकाने लगा दी गई।

निदेशालय की राजकौशल सोसायटी ने 2007 में खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में एनिमेशन एकेडमी खोली और दो कोर्स शुरू कर रोजगार की गारंटी दी। इसमें पहले बैच में 220 और दूसरे बैच में 120 छात्रों ने दाखिला लिया। उनसे लाखों रुपए फीस भी ली गई इसके बाद 2008-09 में एकेडमी बंद कर दी गई। इन छात्रों को न तो वसूली गई फीस लौटाई गई और न ही उन्हें कोई रोजगार दिलाया गया। यह मामला वित्तीय अनियमितता का भी है जिसकी जांच जारी है। *(रा.प., 22.09.12)*

वोट की राजनीति से सभी दल बेबस

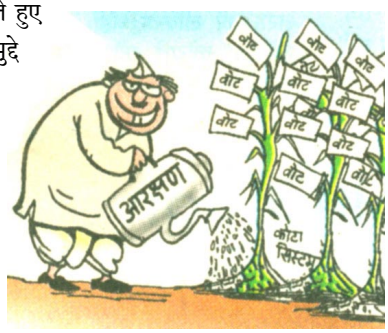

अगले 12 महीनों में सात राज्यों में चुनावों को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों के नेता या तो पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर चुप बने रहना चाहते हैं या आरक्षण प्रस्तावों का समर्थन कर रहे हैं। सभी पार्टियों को अपने वोट बैंक की फिक्र सता रही है। हाल ही संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिनों में आरक्षण पर राजनीतिक दलों की जो तस्वीर सामने आई वह इसे बयां करती है। सं.प्र.ग. सरकार अपने को दलितों और आदिवासियों के हितों की रक्षक साबित करना चाहती है। बसपा की मायावती भी चाहती थी कि संबंधित विधेयक मानसून सत्र में ही पारित हो जाए।

केवल बसपा को छोड़कर अन्य कोई दल वास्तव में पदोन्नति में आरक्षण देना अभी नहीं चाहता। सपा ने तो पदोन्नति में आरक्षण का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि दलितों और आदिवासियों के साथ पिछड़ा वर्ग और मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं? जबकि भाजपा इस मुद्दे पर अभी मौन धारण किए हुए है। इससे यह साफ है कि आरक्षण से सभी का अपना-अपना मतलब है। *(रा.प., 05.09.12)*

किसानों को बांटे बर्बादी के बीज

प्रदेश में बाजरे का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को मुफ्त में बांटा गया जेके 686 वैराइटी का बीज घटिया क्वालिटी का पाया गया है। इससे सीकर, झुंझुनूं, चूरू, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक सहित कई जिलों में बाजरे के पौधों की लंबाई डेढ़ से दो फीट रह गई और सिट्टे का आकार जौ की बाली के बराबर रह गया। इन सिट्टों में दाने भी नहीं आए। इससे प्रदेश के करीब 4000 हैक्टेयर में बाजरे के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है।

इससे सरकार की बीज खरीद नीति और क्वालिटी कंट्रोल की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। मामले में निजी कंपनी के साथ मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। बाजरा बीज ने हजारों किसानों को बर्बाद कर दिया है। मुफ्त बांटे गए बीज खराब निकलने पर किसान उपभोक्ता मंच का भी सहारा नहीं ले सकता। *(दै.भा., 24.09.12)*

विकास के पायदान पर फिसला प्रदेश

पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्थान भले ही देश के सभी राज्यों में विकास के मामले में छठे स्थान पर रहा था, लेकिन इस बार यह 6 पायदान नीचे खिसक कर 12 वें स्थान पर जा पहुंचा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए राज्य की विकास दर 5.4 फीसदी रही, जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 में यह 10.9 फीसदी थी।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन की ओर से पिछले दिनों जारी किए गए 12 राज्यों के आंकड़ों में राज्य देश के पिछड़े राज्यों में शामिल है। इसमें कुछ राज्यों के आंकड़े तो अभी शामिल ही नहीं है, अन्यथा यह स्थान और भी नीचे खिसका नजर आएगा। *(रा.प., 19.09.12)*

कई मंत्रियों की सम्पति में भारी इजाफा

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कुल सम्पत्ति एक ही साल में दोगुनी होकर 10.73 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल उनके द्वारा घोषित सम्पत्ति 5.11 करोड़ रुपए थी। हालांकि उनके मंत्रिमण्डल में कई मंत्रियों ने अमीरी के मामले में प्रधान मंत्री को काफी पीछे छोड़ रखा है। कैबिनेट मंत्रियों में 114 करोड़ की सम्पत्ति के साथ प्रफुल्ल पटेल सबसे ज्यादा अमीर हैं। पिछले एक साल में उनकी सम्पत्ति में सिर्फ 4.55 करोड़ रुपए का इजाफा बताया गया है।

वर्ष 2011 की सूची में 263 करोड़ की सम्पत्ति के साथ अमीर मंत्री माने गए कमलनाथ ने इस बार चौंकाया है। वेबसाइट के मुताबिक इस साल उनकी सम्पत्ति 17.59 करोड़ है। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने अपने बेटों की सम्पत्ति इसमें नहीं जोड़ी है। इस बार कपिल सिब्बल ने अपनी सम्पत्ति 45.33 करोड़ रुपए बताई है जबकि 2011 में उनकी सम्पत्ति 35.37 करोड़ रुपए थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर अन्य मंत्रियों की सम्पति की भी जानकारी ली जा सकती है। *(दै.भा., 10.09.12)*

आवास योजना में फंसे 291 करोड़

मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत आवास बनाने के लिए दिए गए 291 करोड़ रुपए फंस गए हैं। ऐसा इन योजनाओं की समुचित मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण हुआ है। दरअसल, इन योजनाओं में चयनित 4 लाख 31 हजार 338 परिवारों ने मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से पहली किश्त अर्थात 50 फीसदी राशि तो ले ली, लेकिन इनमें से एक लाख 22 हजार 546 ने आवास का निर्माण नहीं कराया। किसी ने इस राशि को परिवारजन की शादी में खर्च कर दिया तो किसी ने कर्ज चुकाने और घर का राशन जुटाने में लगा दिया।

पहली किश्त में सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को 22,500 तथा एससी व एसटी परिवार को 25,000 रुपए दिए गए थे। इस राशि से आवास का प्लिंथ लेवल तक काम कराना था। इसके बाद दूसरी किश्त दी जानी थी। ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय का कहना है मकान नहीं बनाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। *(दै.भा., 16.07.12)*

करोड़ों खर्च... फिर भी बच्चे कुपोषित

11वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों के मुताबिक पांच साल पहले प्रदेश में 0 से 3 साल तक की आयु के 44 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार थे। उस समय यह लक्ष्य तय किया गया था कि वर्ष 2012 तक इस आंकड़े को 25 फीसदी तक लाया जाएगा। इन पांच सालों में करीब 3400 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद सरकार अब भी प्रदेश में 44 फीसदी बच्चे कुपोषित बता रही है। इनमें से 12 फीसदी बच्चे तो बहुत ज्यादा कुपोषण की स्थिति में हैं।

विधायक राव राजेन्द्र सिंह का कहना है कि आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं। यहां तक की पोषाहार की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। विभाग की मंत्री बीना काक भी इस सच्चाई को स्वीकार करती है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम को लागू करने में कहां लापरवाही रही है, इसकी पूरी पड़ताल कराई जाएगी। *(दै.भा., 09.08.12)*

कोयले से भी बड़ा घोटाला

कोयला घोटाले को लेकर संसद में मानसून सत्र के दौरान एक दिन भी ढंग से कोई कामकाज नहीं हुआ। पूरा सत्र हंगामें की भेंट चढ़ गया।

अभी तक यह हंगामा थमा नहीं है कि उससे भी बड़ा एक और घोटाला सामने आया है। इसमें सरकारी खजाने की लूट कोयला घोटाले से भी बड़ी मानी जा रही है।

यह नया घोटाला लौह अयस्क और बॉक्साइट की झारखण्ड में खानों के आवंटन का है। इसकी सुई झारखण्ड के मुख्यमंत्री और केन्द्र के खान मंत्री की तरफ घूम रही है। पता चला है कि खानों का आवंटन कई ऐसी कपंनियों को कर दिया गया जो खनन के क्षेत्र में काम ही नहीं करती। वर्ष 2000 से 2011 के बीच कुल 59 ब्लॉक्स आवंटन किए गए हैं, जिनकी अभी जांच जारी है। *(रा.प., 14.09.12)*

राजनीतिक पार्टियां चंदे से मालामाल

आम आदमी भले ही महंगाई की मार से बेहाल हो गए हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां मालामाल होती जा रही हैं। पिछले पांच साल के आंकड़ों को देखे तो देश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अच्छी खासी रकम चंदे के रूप में बटोरी है। जहां कांग्रेस ने 1662 करोड़ तो भाजपा ने 852 करोड़ रुपए का चंदा जमा किया है। बसपा 424 करोड़, माकपा 336 करोड़ और सपा 202 करोड़ रुपए का चन्दा जुटा कर क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर है।

इन दलों को किससे कितना चन्दा मिला इसका कोई खुलासा नहीं किया गया है। सभी दल पारदर्शिता की बातें तो खूब करते हैं लेकिन सभी दल दान दाताओं के नाम बताने में आना-कानी करते हैं। जबकि राजनीतिक दलों को मिला यह चन्दा ही भ्रष्टाचार और घोटालों की जड़ माना गया है। *(रा.प., 12.07.12, 24.09.12)*

ढाई करोड़ का गलत भुगतान

स्वास्थ्य विभाग के जयपुर में सेठी कॉलोनी स्थित मिनी स्वास्थ्य भवन में दवाओं की खरीद के नाम पर बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। विभागीय अफसरों ने ऐसी दवाओं के पेटे लाखों रुपए का भुगतान कर दिया, जो वास्तव में अवधिपार थीं, या खरीदी ही नहीं गई। इतना ही नहीं, विभिन्न आरसीएच सेंटर्स ने ऐसी फर्मों के बिल बनाकर पेश कर दिए जो दवाओं का काम करने के बजाय, केवल बिलिंग का काम करती हैं। अफसरों ने आंख मूंद कर इन बिलों को भी पास कर दिया।

यह गड़बड़ियां सीएमएचओ प्रथम में 2009 से 2011 के ऑडिट में सामने आई हैं। इसके बाद एनआरएचएम की ओर से गठित कमेटी ने भी इस जांच को सही माना है। रिपोर्ट में 2 करोड़ 57 लाख रुपए के अनियमित भुगतान की बात सामने आई है। *(दै.भा., 08.08.12)*

मीटर खरीदने में लुटाए 30 करोड़

बिजली की दरें बढ़ाते वक्त विद्युत कंपनियां भले ही घाटे का रोना रोएं, मगर प्रदेश में मीटर खरीद के दौरान शायद यह घाटा उन्हें याद नहीं आता। तभी तो समान मानदंडों के मीटर राजस्थान में अन्य राज्यों के मुकाबले 850 रुपए प्रति मीटर तक अधिक दाम पर खरीदे गए।

32 हजार करोड़ का घाटा झेल रही बिजली कंपनियों ने 4 लाख से ज्यादा मीटरों की खरीद में 30 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाया और इसके बावजूद 'ऊपरी दबाव' के चलते खरीद जारी है। मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी गई है। इससे डिस्कॉम में रहे आला अधिकारियों में खलबली मची हुई है। *(रा.प., 29.08.12, 31.08.12)*

अभियोजन स्वीकृति में देरी बर्दास्त नहीं

भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति में देरी पर सख्ती दिखाते हुए हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह में स्वीकृति देने को कहा है, इसकी पालना नहीं होने पर क्यों न अवमानना कार्यवाही की जाए। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार जैन की खण्डपीठ ने वकील पूनम चन्द भण्डारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह कहा।

भण्डारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के 2003 के बाद से 153 मामलों में अभियोजन स्वीकृति का इंतजार है, इसमें देरी के लिए कलक्टरों व पुलिस अधिकारियों को बुलाया जाए। अभी तक विधि विभाग ने भी स्वीकृति नहीं दी है।

खण्डपीठ ने दिनेश कुमार जैन की याचिका पर भी आदेश दिया कि जलदाय विभाग के तीन अभियंताओं के खिलाफ चल रहे करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामलों में छः माह में जांच पूरी कर कार्रवाई की जाए।

(रा.प., 31.08.12 एवं दै.भा., 04.09.12)

भ्रष्ट सरकार के मुखिया?

अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। इसमें कहा गया है कि मनमोहन सिंह पर इतिहास में नाकाम प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज होने का खतरा मंडरा रहा है। अखबार ने उन्हें 'भ्रष्ट सरकार के मुखिया' बताया। चुप रहने वाले प्रधानमंत्री अब दयनीय व्यक्ति बन कर रह गए हैं।

इसी तरह ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भी यह छाप दिया कि वह 'सोनिया गांधी की कठपुतली' हैं। केन्द्रीय मंत्री अंबिका सोनी ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पर ऐसे आरोप लगाना सरासर गलत है। जबकि प्रमुख विपक्षी भाजपा ने इसे सही ठहराया है। भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सिंहासन कितना डोल रहा है। प्रश्न उठता है कि क्या इससे विदेशों में भारत की छवि धूमिल नहीं हुई है?

(रा.प.एवं दै.भा., 09.07.12, 06.09.12)

मनरेगा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्रदेशभर में मनरेगा योजना के तहत भ्रष्टाचार के 545 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा मामले नागौर में सामने आए हैं, जहां 74 मामले दर्ज है। इनके बाद भरतपुर और दौसा में भ्रष्टाचार के जहां 55 और 48 मामले बने हैं, वहीं बाड़मेर और गंगानगर में 38 और 35 मामले सामने आए हैं।

सबसे कम मामले वाले जिलों में उदयपुर और राजसमंद में 1-1, पाली में 2 , बूंदी और सवाई माधोपुर में 3-3 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके चलते रोजगार दिलाने के लिए शुरू की गई मनरेगा योजना भ्रष्टाचार के बोझ तले दबकर रह गई है। इस योजना में भ्रष्टाचार में जनप्रतिनिधियों के साथ सरकारी कर्मचारी भी शामिल है।

(दै.भा., 09.09.12)

रिश्वत देने के मामले में महिला गिरफ्तार

कोटा जिले की विशेष अपराध शाखा में तैनात सी.आई. नेत्रपाल सिंह ने तीन साल पहले रामचन्द्रपुरा छावनी में मसाले बनाने के एक कारखाने पर दबिश दी थी। वहां कारखाने का मालिक सलीम नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी आजरा और नकली मसाले का कच्चा माल मिला था। आजरा ने सी.आई. को कार्रवाई नहीं करने की एवज में 30 हजार रुपए देने की कोशिश की। सी.आई. ने मना किया जो आजरा ने उनकी जेब में रुपए रख दिए।

सी.आई.नेत्रपाल सिंह ने गुमानपुरा थाने में मामला दर्ज कराया। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने केस दर्ज कर जांच टोंक ब्यूरो को दे दी। जांच में आजरा रिश्वत देने की दोषी सिद्ध हुई। अब उसे दोषी मानकर गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो अधिकारियों ने आजरा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने अर्जी मंजूर कर फिलहाल आजरा को जमानत पर रिहा किया है। *(दै.भा., 25.08.12)*

कालेधन पर सिर्फ चलताऊ सुझाव

देश के 9920 अमीरों ने विदेशों में अपना काला धन जमा करा रखा है जबकि 38 हजार लोगों के पास देश में काला धन है। काला धन रोकने के लिए उपाय सुझाने को सीबीडीटी चेयरमैन की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में ठोस उपाय बताने की जगह कानून बदलने की जरूरत जैसे बहुत ही सामान्य और टालने वाले उपाय सुझाए गए हैं।

समिति की सिफारिशों में फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन, नेताओं के पद से हटने के बाद भी संपत्ति घोषित करना, बैंक खातों पर पैनी नजर, जैसी बातें हैं। इस पर नकेल कसने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त का गठन जल्द करने की सिफारिश भी की है। लेकिन समिति विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के पक्ष में नहीं है। समिति का कहना है कि काला धन विदेशों में ही नहीं देश में भी खूब फलफूल रहा है। समिति की रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर मौन है।

(दै.भा., 13.07.12)

काले धन का चक्रव्यूह तोड़ेंगे 'टाइगर'

काले धन का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए सरकार अपने 'टाइगर' तैयार कर रही है। नेशनल अकादमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स के फरीदाबाद स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में वित्त मंत्रालय से संबंधित विभागों के 60 अफसरों को खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की संख्या अधिक है। इन्हें दो सप्ताह तक यह ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह बैंक व अन्य माध्यमों द्वारा भारत से ब्लैक मनी विदेश ले जाई जाती है और कौन-कौन से रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि इसे किस तरह रोका जा सकता है। *(रा.प., 30.08.12)*

स्टाफ की कमी

कालेधन को लेकर सरकार पर काफी दबाव है और वित्त मंत्रालय के कई विभागों में स्टाफ की काफी कमी है। अकेले प्रवर्तन निदेशालय में 77 फीसदी स्टाफ की कमी है, जिसे भरने के लिए तेजी से कवायद चल रही है।

भ्रष्टाचार में पुलिस सबसे आगे

प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस ने राजस्व विभाग को पीछे छोड़ दिया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से ट्रैप होने के मामलों में पुलिस विभाग के मामले सबसे ज्यादा है। इस साल पहली जनवरी से 24 सितम्बर तक एसीबी ने 228 मामलों में सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए।

इन नौ माह में सबसे ज्यादा 56 मामले पुलिस के हैं। एसीबी ने लंबे अर्से बाद इस साल एक आईपीएस अफसर को रिश्वत लेते पकड़ा। अब तक राजस्व विभाग भ्रष्टाचार और ट्रैप के मामलों में अव्वल था। लेकिन इस साल वह दूसरे स्थान पर है, जिसमें 42 कर्मचारी ट्रैप हुए हैं। इस अवधि में पंचायतीराज विभाग तीसरे, ऊर्जा विभाग चौथे व मेडिकल विभाग पांचवें स्थान पर रहे हैं, जिनमें क्रमशः 27, 22 और 10 मामलों में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। *(दै.भा., 27.09.12)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
उदयपुर	पन्ना लाल खटीक भंवर सिंह सिसोदिया	सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. लाईन मैन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, जोधपुर	5,000	*रा.प., 01.07.12*
राजसमंद	सत्यनारायण मोची	वरिष्ठ लिपिक, खान विभाग	25,000	*दै.भा., 04.07.12*
सीकर	रामू राम यादव	लाइनमैन, जयपुर विद्युत वितरण निगम, श्रीमाधोपुर	5,000	*दै.भा., 04.07.12*
जयपुर	सुरेश देनवाल	पटवारी, गठवाडी-भोभाड़ी ग्राम पंचायत, जमवारामगढ़	4,000	*रा.प., 04.07.12*
जयपुर	देवीलाल नरेन्द्र	मीटर रीडर, जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर लाइनमैन, जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर	12,000	*रा.प. एवं दै.भा., 05.07.12*
चित्तौड़गढ़	शिवसिंह राजपूत	हैड कांस्टेबल, चंदेरिया थाना, चित्तौड़गढ़	1,500	*रा.प. एवं दै.भा., 09.07.12*
जयपुर	जयराम बैंसला	हैड कांस्टेबल, रेलवे सुरक्षा बल, जयपुर	1,000	*रा.प., 11.07.12*
भीलवाड़ा	रामराज सिंह मीणा सोमेश्वर जाट	हैड कांस्टेबल, सदर थाना, भीलवाड़ा चाय की केबिन संचालक, भीलवाड़ा	5,000	*रा.प., 19.07.12*
जयपुर	तारा चन्द मेघवाल अनिल(पुत्र)	हैड कांस्टेबल, महिला थाना, बनीपार्क जयपुर होमगार्ड, यातायात ड्यूटी में कार्यरत	10,000	*रा.प., 28.07.12*
जयपुर	ओम प्रकाश गुप्ता	पटवारी, जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-8	2,000	*दै.भा. एवं रा.प., 31.07.12*
भीलवाड़ा	पवन कुमार धानुका	विकास अधिकारी, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी	5,000	*दै.भा., 05.08.12*
चित्तौड़गढ़	हीरा लाल रैगर	बेगू प्रधान, रुकमा रैगर के पति	10,000	*दै.भा.एवं रा.प., 10.08.12*
जयपुर	महेन्द्र शर्मा	अमीन, जयपुर विकास प्राधिकरण	40,000	*रा.प.एवं दै.भा., 18.08.12*
श्रीगंगानगर	आयुवान सिंह	एएसआई, बांडा कॉलोनी चौकी इंचार्ज, अनूपगढ़ थाना	25,000	*दै.भा.एवं रा.प., 20.08.12*
अलवर	दिनेश नन्दन शर्मा	कनिष्ठ लेखाकार, आबकारी निरोधक दल	2,600	*दै.भा., 20.08.12*
श्रीगंगानगर	संतकुमार श्रीवास्तव	परिवहन उपनिरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय,गंगानगर	33,000	*दै.भा, 21.08.12*
बाड़मेर	मगु राम चौधरी	हैड़ कांस्टेबल, पुलिस चौकी गूंगा (शिव) बाड़मेर	3,000	*दै.भा., 22.08.12*
राजसमंद	धर्मेन्द्र कुमार जाटव	ग्राम सचिव, धनेरियागढ़, रेलमगरा तहसील, राजसमंद	10,000	*दै.भा., 24.08.12*
जयपुर	राम चन्द्र	हैड़ कांस्टेबल, चाकसू थाना, जयपुर	5,000	*रा.प., 29.08.12*
जयपुर	डी.सी.गुप्ता आलोक गुप्ता	मुख्य अभियंता, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि. डी.सी.गुप्ता के पुत्र व ठेकेदार, रा. विद्युत प्रसारण निगम	40,000	*रा.प.एवं दै.भा., 01.09.12*
पाली	रूपसिंह राजपुरोहित	एएसआई, कोतवाली थाना, पाली	10,000	*रा.प.एवं दै.भा., 09.09.12*
जोधपुर	राजेश पंवार	प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शेरगढ़	20,000	*रा.प., 11.09.12*
जालोर	डॉ. बहादुर मीणा	बीसीएमएचओ, रानीवाड़ा, जालोर	1,500	*रा.प., 12.09.12*
जयपुर	डॉ. बी.एल. राय शशिकान्त भारद्वाज	डॉक्टर, सीआईएसएफ बटालियन देवली, टोंक दलाल, आमेर में मेडिकल की दुकान, जयपुर	8,000	*रा.प.एवं दै.भा., 15.09.12*
जोधपुर	छैल सिंह	कांस्टेबल, लूणी थाना, जोधपुर	1,500	*दै.भा., 16.09.12*
झुंझुनूं	रमन भारद्वाज	एसआई, पिलानी थाना, झुंझुनूं	5,000	*दै.भा., 16.09.12*
धौलपुर	मानसिंह गुर्जर	सब इंस्पेक्टर, गुमट पुलिस चौकी, बाड़ी	4,500	*दै.भा., 20.09.12*
अजमेर	विजय कुमार मीणा	सहायक प्रबन्धक सेल्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	2,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 25.09.12*
जोधपुर	अनिल गुप्ता	फोरमेन, खान विभाग, बालेसर, जोधपुर	25,000	*दै.भा., 25.09.12*
प्रतापगढ़	दयाशंकर दीक्षित	प्रबंधक, सरस डेयरी दूध संग्रहक केन्द्र	40,000	*दै.भा., 30.09.12*

'मनरेगा' है लोकप्रिय और सफल योजना

क्रियान्वयन में हो रहा है भ्रष्टाचार

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि मनरेगा की उपलब्धियां बेहतरीन है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में सुधार जरूरी है। पैसे और संसाधनों के इस्तेमाल में अनियमितता को लेकर लोगों में चिंता व्याप्त है। ग्राम सभा की ओर से सोशल ऑडिट को अनिवार्य करने और कैग द्वारा मनरेगा की कार्यकुशलता (परफॉर्मेंस) ऑडिट कराने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मान लिया है कि मनरेगा योजना जिस तरह से क्रियान्वित हो रही है उससे सरकार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। यह ही नहीं योजना का समानांतर मूल्यांकन 'ठीक से नहीं'हो रहा है। मजदूरों को भुगतान में देरी हो रही है।

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 'मनरेगा समीक्षा' जारी करते हुए कहा कि यह योजना केन्द्र सरकार की सर्वाधिक लोकप्रिय और सफल योजना है। लेकिन इसमें अब भी खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। योजना में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार पंचायतों को केवल संसाधन उपलब्ध कराती है, ताकि वे प्रभावी तरीके से योजनाओं को अमलीजामा पहना सके। अगर ये संस्थाएं समस्याओं के निदान में तत्पर हो जाएं तो मनरेगा कार्यक्रम देश के लिए एक तोहफा साबित होगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 15.07.12)*

राज्य में जन सुनवाई अधिकार लागू

पांचवा स्तम्भ के पिछले अंक में 'जनता की नहीं सुनी तो देना होगा जुर्माना' शीर्षक के तहत 'जन सुनवाई का अधिकार कानून' के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई थी। यह कानून राजस्थान में एक अगस्त 2012 से लागू हो गया है।

यह कानून लागू करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। इससे अब सरकारी दफ्तरों में लोगों को अपने काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कानून के लागू होने से ग्राम सेवक और पटवारी से लेकर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, तहसील, बीडीओ, एसडीओ, जिला कलेक्टर, जिला परिषद और संभागीय आयुक्त कार्यालय तक में लोगों की सप्ताह में कम से कम दो दिन हर हाल में अवश्य सुनवाई होगी।

शिकायत होने पर सुनवाई अधिकारी के वेतन से जुर्माने के रूप में 500 से 5000 रुपए तक काटे जाएंगे। इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सभी दफ्तरों में शिकायतों पर सुनवाई के लिए लोक सुनवाई अधिकारी बनाए जा रहे हैं। अधिकारियों को अधिकतम 15 दिन में शिकायत पर सुनवाई करनी होगी।

(रा.प., 01.08.12, 02.08.12)

पशुपालकों को मिली सौगात

प्रदेश के पशुपालकों और किसानों के लिए 15 अगस्त एक बड़ी सौगात लेकर आया है। अब उनके पशुओं के बीमार होने पर सरकारी पशु चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज होगा और दवाईयां भी मुफ्त मिलेंगी। राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुधन निःशुल्क दवा योजना का शुभारम्भ करते हुए बताया कि योजना की शुरुआत में 60 करोड़ रुपए की लागत से करीब 87 दवाइयां निःशुल्क मिलेंगी। पशुओं के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी।

पशुधन विभाग के निदेशक डॉ. अजय मान ने बताया कि योजना को गति देने के लिए प्रदेश की पशु संस्थाएं अब छह की बजाय सात घंटे खुलेंगी इस आदेश से 5.66 करोड़ पशुओं और एक करोड़ पशु पालकों को लाभ होगा।

(रा.प., 13.08.12, 14.08.12)

दहाई पर मंहगाई की दहाड़

केन्द्र सरकार के नियंत्रण से महंगाई बेकाबू हो चुकी है। इसे नियंत्रित करने के लिए किए गए सभी प्रयास नाकाफी ही साबित हुए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त माह में खुदरा मुद्रास्फीति दहाई का आंकड़ा पार कर गई है। इस माह में मंहगाई बढ़कर 10.03 के आंकड़े पर जा पहुंची है, जो जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति 9.86 के मुकाबले एक फीसदी ज्यादा है।

केन्द्र सरकार द्वारा डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने के निर्णय से महंगाई और बढ़ने के संकेत हैं। *(रा.प., 14.09.12, 19.09.12)*

शहरी बीपीएल आवास योजना शुरू

प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना शुरू की गई है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बाड़मेर में पांच बीपीएल महिलाओं को सहायता राशि के चैक देकर इस योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश में योजना के तहत हर साल एक लाख बीपीएल परिवारों के हर परिवार को मकान बनाने के लिए 50 हजार व शौचालय निर्माण के लिए पांच हजार रुपए की सहायता दी जाएगी।

सोनिया गांधी के दौरे के अगले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में अतिवृष्टि या किसी अन्य आपदा से प्रभावितों के पुनर्वास और मकान बनाने के लिए राजस्थान विशेष आवास योजना लागू करने की भी घोषणा की है। इसमें किसी प्रकार की आपदा में प्रभावित लोगों को मकान बनाने के लिए 50 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा शौचालय निर्माण के लिए शहरों में 5000 व गांवों में 4600 रुपए भी दिए जाएंगे।

(रा.प., 09.8.12, 01.09.12)

शौचालय निर्माण पर मिलेंगे 9100 रुपए

निर्मल ग्राम अभियान के तहत केन्द्र सरकार ने अब टॉयलेट निर्माण के लिए राशि दोगुनी से भी ज्यादा कर दी है। मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले आवासों के साथ व्यक्तिगत टॉयलेट बनाने के लिए सहायता राशि अब 9100 रुपए मिलेगी।

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार पहले प्रति इकाई अनुदान राशि 2200 रुपए प्रत्येक को दी जाती थी। अब इसके स्थान पर 4600 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार मनरेगा के तहत निर्माण का सहयोग पहले 1200 रुपए तक था, जिसे बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया गया है। यह राशि मस्टररोल के अनुसार 20 अकुशल श्रमिकों और 6 कुशल श्रमिकों के रूप में दी जाएगी।

(दै.भा., 15.07.12

शुरू होगा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इसके लिए 'भरोसेमंद नियामक' तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भी शहरों में लोग स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जन स्वास्थ्य की इस अहमियत को देखते हुए उन्होंने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की तर्ज पर नया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि पहले से चला आ रहा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अगले पांच साल तक और जारी रहेगा।

इसके अलावा केन्द्र सरकार आम आदमी के लिए निःशुल्क दवा के साथ जांचें भी निःशुल्क करने की तैयारी में है। योजना आयोग ने इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया है और इसे 'नेशनल एसेंशियल हैल्थ पैकेज' के नाम से लागू किया जाएगा। *(रा.प., 01.07.12, 14.08.12)*

बिजली ने लगाया जोर का झटका

अब उपभोक्ताओं को अपना बिजली का बिल काफी अधिक चुकाना पड़ेगा। राज्य में बिजली की दरें 25 पैसे से 80 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ा दी गई है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए यह बढ़ोतरी कमर तोड़ने वाली है। इसके अलावा बिजली बिल के साथ सफाई का शुल्क वसूलना कोढ़ में खाज साबित होगी। वह अपना व बच्चों का

पेट काट कर मजबूरी में बिल भरेगा। क्योंकि, बिजली अब जरूरी जरूरत बन गई है।

राज्य सरकार का कहना है कि बिजली कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिए यह फैसला मजबूरी में उठाया गया है। किसानों, बीपीएल और छोटे घरेलू उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि किसानों व गरीबों का भार सरकार उठाएगी। उन्हें पुरानी दरों पर ही बिजली मिलती रहेगी। बढ़ाया गया पैसा सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। *(रा.प.एवं दै.भा., 09.08.12)*

पवन ऊर्जा नीति को सरकार की मंजूरी

प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने नई पवन ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है। नीति में आगामी तीन सालों के लिए करीब 1200 मेगावाट बिजली का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी खरीद दरें प्रतिस्पर्धा निविदा प्रक्रिया के जरिए निर्धारित होगी। इसके साथ ही निवेशकों को उनके पवन ऊर्जा संयत्रों से उत्पादित विद्युत को डिस्कॉम के अतिरिक्त खुद के उपयोग और अन्य व्यक्तियों को बेचने की भी स्वतंत्रता दी गई है।

ऊर्जा मंत्री जितेन्द्र सिंह ने बताया कि पवन ऊर्जा को एक उद्योग मानते हुए उद्यमियों को कई रियायतें दी गई हैं। उन्हें सरकारी दर की 10 प्रतिशत राशि पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उनके द्वारा उत्पादित बिजली का स्वयं उपयोग लेंगे, तो उनके विद्युत शुल्क को माफ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि निवेशक अपनी निजी भूमि पर संयंत्र स्थापित करते हैं तो उस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन अति रियायती दरों पर किए जाने का प्रावधान भी किया गया है।

(रा.प.एवं दै.भा., 19.07.12)

पावर ग्रिड अब नहीं होगा फेल

देश में कुछ राज्यों के द्वारा अधिक बिजली खींच लेने से इस साल जुलाई माह में दो बार पावर ग्रिड फेल हो गए। इससे लगभग आधे देश को बिजली नहीं मिलने से सारा जन जीवन ठप्प हो गया।

यह बिजली तंत्र में व्याप्त अव्यवस्था और ऐसी मनमानी को उजागर करता है, जिसका न करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी से कोई सरोकार है और न ही उसे अस्पताल में कराहते मरीजों की परवाह है। रेल, मेट्रो जैसे यातायात के पहिये जहां थे वहीं रुक गए। पानी व दूध जैसी रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं की आपूर्ति में भी व्यवधान आ गया। लेकिन इसके बावजूद इसके लिए जो भी दोषी रहे उन्हें कोई सबक तक नहीं दिया गया।

अब केन्द्र के नए बिजली मंत्री एम.वीरप्पा मोइली ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है कि राष्ट्रीय पारेषण ग्रिड में जिस तरह की खराबी आई है वैसी घटना दोबारा कभी नहीं होगी।

(रा.प., 01.08.12 एवं न.नु., 02.08.12)

जले मीटर से अवैध वसूली रोकनी पड़ी

राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने 17अगस्त को बिजली के जले मीटर बदलने के एवज में उपभोक्ताओं से अधिक दाम वसूलने के बिजली कंपनियों के आदेश को मनमर्जी करार देते हुए उस पर रोक लगा दी थी। साथ ही कंपनियों को वसूली गई अधिक राशि उपभोक्ता के अगले तीन माह के बिलों में समायोजित करने के निर्देश दिए थे।

इसके बावजूद कंपनियों ने अवैध वसूली जारी रखी। इस आदेश को बिजली कंपनियां कानूनी पेच में फंसाने में जुटी है और आयोग के फैसले को अपीलिएट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एप्टेल) में चुनौती दी है। साथ ही फील्ड अफसरों को अग्रिम आदेश तक मीटर की कीमत के बजाय अमानत राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। जब एप्टेल में मामले का निस्तारण होगा, तो उसी हिसाब से उपभोक्ता से मीटर का चार्ज किया जाएगा।

(रा.प., 20.08.12, 04.09.12, 11.09.12)

राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ी

राज्य सरकार विद्युत उत्पादन में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। विशेष प्रोत्साहन के फलस्वरूप 31 मार्च 2012 को प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 10 हजार 308 मेगावाट पार कर गई है।

इस समय राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा कालीसिंध (झालावाड़) में 600-600 मेगावाट की दो, छबड़ा (बारां) में 250-250 मेगावाट की दो, तथा रामगढ़ (जैसलमेर) में 160 मेगावाट की इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इससे प्रदेश में 1860 मेगावाट क्षमता की वृद्धि संभव होगी।

निजी क्षेत्र में भी बाड़मेर और बारां में इकाइयां स्थापित की जा रही है, जिनसे 2012-13 तक 1860 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने की आशा है। *(न.नु., 11.09.12)*

बिजली कंपनियों को विशेष पैकेज

आर्थिक संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रही राज्य की बिजली कंपनियों को केन्द्र सरकार 9,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज देगी। सशर्त दिए जाने वाला यह पैकेज कर्ज के रूप में होगा। कंपनियां तीन साल में यह पैसा खर्च कर सकेंगी और उसके बाद 7 साल में यह कर्जा चुकाना होगा।

यह घोषणा राजस्थान दौरे पर आए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री वीरप्पा मोइली ने यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने कहा कि देश में 27 फीसदी बिजली छीजत है, जबकि राजस्थान में यह 24 फीसदी है।

उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए भरोसा दिलाया है कि राजस्थान में रबी की फसल के दौरान पूरी बिजली दी जाएगी, साथ ही राजस्थान को एक कोल ब्लॉक और चार कोल लिंकेज की सौगात भी मिलेगी। *(रा.प. एवं दै.भा., 02.09.12)*

राजस्थान होगा सौर ऊर्जा हब

ऊर्जा मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि राजस्थान जल्द ही सौर ऊर्जा हब के रूप में अपनी अलग पहचान बनाऐगा। प्रदेश में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं है, जिनके चलते अब तक करीब 800 निवेशक यहां सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए रूचि दिखा चुके हैं। सरकार भी निवेशकों को हर संभव सुविधाएं मुहैया करवाने को प्रयासरत है।

उन्होंने यह जानकारी पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से सोलर पावर जनरेशन इन राजस्थान-अपॉर्च्यूनिटी एण्ड चेलेंजेज पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में देते हुए कहा कि सौर ऊर्जा से प्रदेश में जो बिजली की कमी है उसे पूरा किया जा सकेगा।

(रा.प., 26.07.12)

राज्य में हो जल नियामक आयोग

यूरोपीय संघ चाहता है कि राजस्थान में जल नियामक आयोग बने ताकि पानी से सम्बन्धित सभी मामलों को बेहतर तरीके से निष्पादित किया जा सके। इस समय राज्य में ऐसा आयोग नहीं होने के कारण जल व्यवस्था सम्बन्धित सभी आर्थिक बोझ राज्य सरकार पर ही केन्द्रित हैं।

प्रदेश में जल संरक्षण, संवर्द्धन, जल के सदुपयोग और उसके प्रति जन जागृति के मकसद से यूरोपियन यूनियन के सहयोग से राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग द्वारा राज्य सहभागिता कार्यक्रम की क्रियान्विति की जा रही है।

हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाने का आग्रह किया तो यूरोपियन संघ ने राज्य सरकार को जल नियामक आयोग पर फोकस करने को कहा। राज्य सरकार की ओर से संघ को बताया गया कि राज्य में जल नियामक आयोग के गठन का पस्ताव राज्य मंत्रिमण्डल में अनुमोदन होने के पश्चात अब राज्य विधानसभा की प्रवर समिति में विचारार्थ है। *(न.उ., 29.08.12)*

बनेगी पानी की 'जन्मकुडंली'

केन्द्र सरकार का पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देश के पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता की जांच के लिए राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन (नासो) के साथ मिलकर अब तक का देश का सबसे बड़ा वाटर सर्वे करने जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से पानी को दूषित करने वाले 14 तत्वों की जानकारी एकत्र की जाएगा। सर्वे का पहला चरण अक्टूबर से जनवरी व दूसरा चरण मार्च से मई तक चलेगा।

इसके लिए मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं। हर जिले के पांच से छह गांवों से पानी के 110 नमूने एकत्र कर गुणवत्ता की जांच की जाएगी। पेयजल स्त्रोतों की स्थिति, पानी से होने वाली बीमारियां, भूजल के सुदृढ़ीकरण, जीवाणुयुक्त दूषित जल व स्थानों का पता लगाने के बाद पानी के शुद्धीकरण के लिए सर्वे किया जाएगा। इसमें उच्च पैमानों के आधार पर पानी की जांच की जाएगी।

(रा.प., 08.08.12)

जरूरी है बरसात के पानी का संग्रहण

प्रदेश में पेयजल की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरपंचों को पत्र लिखकर बरसात के पानी को संरक्षित करने के उपाय करने को कहा है। उन्होंने गांवों में इसे एक जन आन्दोलन का रूप देने की अपील की है। इस पत्र की प्रति जिला प्रमुखों और प्रधानों को भी भेजी गई है।

मुख्यमंत्री ने सरपंचों को टांकों की सफाई कराने, जल संरक्षण की रचनाओं में छत से टांके तक आने वाले पाइपों की मरम्मत कराने, ज्यादा से ज्यादा घरों में सामुदायिक स्तर पर टांके बनवाने, नकारा हैण्डपंप और ट्यूबवेलों का उपयोग भूजल पुनर्भरण के लिए करने का सुझाव दिया है।

(दै.भा., 07.07.12)

जल संरक्षण में पंचायतें बने सक्षम

पंचायतों में सरपंच के पास इतने अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र की नदियों, जल स्त्रोतों को सुरक्षित व प्रदूषण रहित रख सकते हैं। राजस्थान में पानी की कमी है। मद्देनजर, पंचायतों को पानी के संरक्षण, जल स्त्रोतों के रख-रखाव व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध रूप से कार्य करना चाहिए।

केन्द्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री डॉ. सी.पी.जोशी ने गायत्री परिवार की ओर से आयोजित बनास संरक्षण चेतना यात्रा का शुभारंभ करते हुए यह संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास न तो धन की कमी है और न किसी से सहयोग लेने की जरूरत है। नरेगा योजना में पंचायतें ऐसे कार्य करवा सकती है। *(दै.भा., 06.08.12)*

पैतीस फीसदी घरों में ही पेयजल

पेयजल सभी के लिए मूलभूत आवश्यकता है। जन स्वास्थ्य के मद्देनजर सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना जरूरी है। लेकिन हाल ही हुई जनगणना में यह तस्वीर उभर कर सामने आई है कि राजस्थान के महज 35 फीसदी परिवारों को ही परिसर में पेयजल उपलब्ध हो पा रहा है।

प्रदेश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले 78.2 फीसदी परिवारों के घरों तक पेयजल लाइन के जरिये पानी पहुंच रहा है जबकि गांवों में यह सुविधा मात्र 21 फीसदी परिवारों तक ही है। प्रदेश के गांवों में महिलाओं को आज भी पीने के पानी के लिए काफी लम्बी दूरी तय करनी पड़ रही है। प्रदेश में कई क्षेत्रों में पीने के पानी में फ्लोराइड़ की मात्रा अधिक होने से कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

(दै.भा., 27.07.12)

निजी सम्पत्ति नहीं रहेगा भू-जल

अब भूजल निजी सम्पत्ति नहीं रहेगा। इसको तेल गैस और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की तरह राष्ट्रीय संसाधन बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा होने पर लोग अपने घर, प्लाट, फार्म हाउस पर आसानी से बोर नहीं करा पाएंगे।

केन्द्र सरकार इस संबंध में नियमों को अन्तिम रूप देने में लगी है। इन नियमों में भूजल को सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित किया जाएगा व प्रबन्धन समुदाय के हाथों में होगा। सरकार एक ट्रस्टी की तरह इसके लिए समय-समय पर नियमों को अन्तिम रूप देगी।

(रा.प., 19.07.12)

पानी का बचत खाता खाली

प्रदेश की राजधानी में इस बार पानी खूब बरसा, लेकिन इसे सहेजने के लिए बनाए गए वर्षा जल पुनर्भरण स्ट्रक्चर सूखे ही पड़े रहे। सड़कों के किनारे लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाएं अधिकतर कचरे और मिट्टी से अटे पड़े रहे, ऐसे में सड़क का पानी इन तक पहुंच ही नहीं पाया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में 90 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन आधे से ज्यादा ब्लॉक होने से नकारा साबित हुए। यही स्थिति आरयूआईडीपी, जलदाय विभाग ओर से बनाए गए स्ट्रक्चरों की रही।

सरकार ने मानसून से पहले सरकारी एजेंसियों को बरसाती पानी के संरक्षण के लिए पुख्ता व्यवस्था करने के लिए पाबन्द किया था। इसके बावजूद किसी भी विभाग ने बेहतर व्यवस्था नहीं की।

(रा.प., 09.09.12)

ऊपर आया शहर का भूजल स्तर

इस बार हुई भारी बारिश ने शहर में तबाही मचाई तो इसका एक फायदा भी हुआ पिछले कई सालों से शहर का भूजल स्तर 3 मीटर प्रति वर्ष की दर से नीचे जा रहा था, लेकिन इस बार यह तीन मीटर तक ऊपर आया है। विशेषज्ञों के मुताबिक सितम्बर माह की बारिश निरंतरता से भूजल बढ़ाने में सहायक हुई है। अभी जमीन की ऊपरी सतह से अन्दर तक नमी है और बारिश का पानी रुक-रुक कर नीचे जा रहा है, जिससे भूजल स्तर और बढ़ने की संभावना हैं। भूजल विभाग के अनुसार फिलहाल झालाना कार्यालय व राजभवन में स्थापित प्रिजो मीटर से भूजल पर निगाह रखी गई थी।

विशेषज्ञों के अनुसार बारिश का 10 से 15 फीसदी पानी ही भूजल तक पहुंचता है। यदि पुनर्भरण संरचनाएं बना कर इन्हें सहेजा जाए तो 80-90 फीसदी पानी को भूगर्भ तक पहुंचाया जा सकता है। शहर में बने ज्यादातर पुनर्भरण रचनाओं की यदि समय पर पूरी सफाई हो जाती तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता था।

(रा.प., 09.09.12, 18.09.12)

अनमोल है कन्या रत्न

पिछले दिनों दूरदर्शन पर 'सत्यमेव जयते' धारावाहिक के माध्यम से फिल्म अभिनेता आमिर खान ने कन्या भ्रूण हत्या पर सभी का ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में महिला लिंगानुपात 954 था, जो 2011 में घटकर 883 रह गया है। प्रदेश की राजधानी को ही लें, यहां 0 से 6 साल तक की बच्चियों का अनुपात 859 है। आज सभी के जेहन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर प्रदेश में लड़कियां कैसे कम हो गई ?

विचारणीय यह है, जयपुर जो समृद्ध शहरों में गिना जाता है उसकी चित्तौड़गढ़ जैसे अविकसित जिले से तुलना करे तो पाएंगे कि पिछले तीन दशकों के दौरान चित्तौड़गढ़ के बनिस्बत जयपुर में महिला लिगांनुपात में लगातार कमी आई है। क्या इसका मतलब यह तो नहीं कि कन्या भ्रूण हत्याएं वहां अपना ज्यादा असर दिखा रही है, जहां पर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से काफी विकास हुआ है ? जबकि ऐसे शहरों में परिवार नियोजन के उपायों के प्रति लोगों को शिक्षित करने के साथ-साथ प्रसवपूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण, गर्भपात सुविधा तथा चिकित्सकीय देखभाल जैसी सुविधाओं में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ जिले में 'सेव द चिल्ड्रन (यू.के.)' के सहयोग से 'कट्स' द्वारा 'ग्रामीण बालिकाओं का सशक्तिकरण' नामक परियोजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक गहन अभियान चलाया जा रहा है।

वर्ष 2005-06 के दौरान जयपुर के दो पत्रकारों, श्रीपाल शक्तावत व मीना शर्मा द्वारा प्रदेशभर के निजी और सरकारी अस्पतालों में कन्या भ्रूण का गर्भपात करने के लिए तैयार डॉक्टरों के कारनामों को गोपनीय तरीकों से फिल्माया गया था। दोनों पत्रकारों का कहना है कि मामला सीआईडी/सीबीआई को सौंपा गया और अशोक नगर पुलिस थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। लेकिन जिन डॉक्टरों की राजनेताओं, नौकरशाही और शीर्ष अधिकारियों से सांठ-गांठ थी, उनके मामले संबंधित थानों से वापस ले लिए गए। जैसे ही स्टिंग ऑपरेशन चला, राजस्थान मेडिकल कांउसिल द्वारा 21 डॉक्टरों के लाइसेन्स निरस्त कर दिए गए, लेकिन छह महीने बाद ही उन्हें वापस बहाल कर दिया गया।

धारावाहिक के प्रसारण के बाद आमिर खान ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों के त्वरित परीक्षण के लिए दबाव बनाया। इस पर गहलोत प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा से भी मिले जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के मामलों के जल्द निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत गठित करने को अपनी सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान कर दी।

यह स्पष्ट है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए केवल कानूनी कार्रवाई ही काफी नहीं हो सकती। इसके लिए लोगों की सोच में परिवर्तन लाना भी निहायत जरूरी है। राजस्थान में जयपुर जिला लड़कियों के जन्म के अधिकार को नकारने में सबसे बड़ी जगह के रूप में सामने आया है। राजस्थान में देखे तो हर दिन लिंग निर्धारण परीक्षण के बाद करीब 300 कन्या भ्रूणों का गर्भपात हो रहा है।

हाल ही विषम लिंग अनुपात पर चिंतित राजस्थान सरकार ने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने छह सोनोग्राफी केन्द्रों का लाइसेन्स रद्द कर दिया और 24 अन्य केन्द्रों को कन्या भ्रूण हत्या और कानूनों का उल्लंघन करने में संदिग्ध भागीदारी के लिए नोटिस जारी किया।

जानलेवा है माताओं में खून की कमी

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार महिलाओं में खून की कमी माताओं और गर्भस्थ शिशु की मौत का सबसे बड़ा कारण है। गर्भवती महिलाओं को सही मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलने से शरीर में हीमोग्लोबीन की कमी हो जाती है। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ।

प्रदेश के बड़े अस्पतालों में गर्भस्थ शिशु की धड़कन नापने के पल्स ऑक्सीमीटर व फिटोस्कोप उपकरणों की कमी के चलते शिशुओं की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले आठ महीनें में प्रदेश की राजधानी जयपुर में ही एक हजार से भी ज्यादा गर्भस्थ शिशुओं की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों में स्थिति क्या होगी? *(दै.भा., 02.07.12)*

जननी सुरक्षा योजना-बाकी है आधा सफर

जननी शिशु सुरक्षा योजना माताओं की सुरक्षा में तो कुछ हद तक सफल रही है, लेकिन दुनिया में आने से पहले ही बिदा होने वाले बच्चों की बढ़ती तादाद को थामने की चुनौती अब भी बरकरार है।

हालांकि परिवारों में योजना के चलते दाइयों के हाथ असुरक्षित प्रसव कराने के बजाय अस्पताल में बच्चे को जन्म देने की मानसिकता बढ़ी है। लेकिन इसकी तुलना में अस्पतालों में सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। गांवों में अभी भी एम्बुलेंस की कमी खटक रही है। इसके चलते बीच रास्ते में प्रसव के मामले भी सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि शिशु मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही हैं। *(रा.प., 21.08.12)*

दहेज लिया जो होगी कैद की सजा

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर गौर करें तो यह सामने आता है कि वर्ष 2011 में दहेज प्रताड़ना की वजह से 8,618 महिलाओं की हत्या हुई है। बढ़ते मामलों के मद्देनजर केन्द्र सरकार दहेज निषेध कानून में सख्त प्रावधान लागू करने पर विचार कर रही है। जिसके तहत दहेज लेने वालों को सात साल की कैद की सजा हो सकेगी।

केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा का कहना है कि जब तक सख्त सजा नहीं होगी दहेज प्रथा जारी रहेगी। दहेज हत्या में कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। *(दै.भा., 01.09.12)*

ग्राम न्यायालय ने दी डॉक्टर को सजा

अलवर जिले के राबड़का गांव निवासी महासिंह यादव की पत्नी चन्द्रकला गर्भवती थी। वह उसे इलाज के लिए डॉ. कमला भारद्वाज के निजी अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान उनकी पत्नी का गर्भपात हो गया और उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे गंभीर हालत में दिल्ली ले जा रहे थे, तब रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। महासिंह ने थाने में डॉक्टर की लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कराया था।

मामला ग्राम न्यायालय में दर्ज हुआ। ग्राम न्यायालय ने डॉ.कमला भारद्वाज को दोषी मानते हुए दो साल का कारावास व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। *(दै.भा., 12.07.12)*

बेटियों के लिए बनेगी विकास नीति

बेटियों की देखभाल, संरक्षण व विकास के लिए प्रदेश में जल्द ही बालिका विकास नीति तैयार की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव सी.के.मैथ्यू ने विभिन्न विभागों को इसका प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इस नीति का खास मकसद बालिकाओं को गरिमापूर्ण वातावरण देना है। इसके तहत कन्याओं के घटते लिंगानुपात, स्वास्थ्य व पोषाहार, स्कूलों में उनका शत-प्रतिशत नामांकन और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश तथा बालिकाओं के प्रति हिंसा, उपेक्षा व शोषण से मुक्ति देने जैसे कई सुधारों को सम्मिलित किया जाना है। *(रा.प.एवं दै.भा., 26.08.12)*

स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च पर्याप्त नहीं

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वर्ष 2011-12 के लिए स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाकर हालांकि 26700 करोड़ रुपया कर दिया गया था, लेकिन यह धनराशि भी देश की स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व के सम्पन्न देशों के मुकाबले भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बहुत कम है। जमीनी धरातल पर स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में व्याप्त अन्तर बहुत ज्यादा है।

कोलकाता में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तो हुआ है लेकिन बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के अन्तर को पाटने के लिए इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। देश का कुल 20 प्रतिशत स्वास्थ्य खर्च ही केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के द्वारा वहन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि 12वीं योजना के दौरान स्वास्थ्य एवं शिक्षा खर्च में वृद्धि के प्रस्ताव के बावजूद निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी दोनों ही क्षेत्रों में आवश्यक है ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य व शिक्षा सभी को उपलब्ध हो सके। *(न.नु., 20.09.12)*

पर्यावरण

रखवाले ही तोड़ रहे हैं कानून

कानूनी पेच लगाकर आम आदमी का काम अटका देने वाले नगर निगम, जेडीए और हाउसिंग बोर्ड खुद के बड़े प्रोजेक्टों में पर्यावरण सुरक्षा का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले छह साल में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एनवायर्नमेंट क्लीयरेंस नहीं ली। हैरानी इस बात की है कि जिस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी है, वह सिर्फ नोटिस देने तक ही सीमित रहा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की स्टेट लेवल ऑथोरिटी से जब जयपुर शहर के रियलस्टेट और बड़े प्रोजेक्टस पर बात की तो सामने आया कि इन एजेंसियों ने क्लीयरेंस लेना तो दूर छह साल में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन तक नहीं किया। दरअसल, एनवायर्नमेंट इम्पैक्ट असैसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के तहत 2500 वर्गमीटर या इससे अधिक बिल्टअप एरिया में निर्माण शुरू करने से पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होती है। बिल्टअप एरिया यदि 20 हजार वर्ग मीटर से ज्यादा हो या 50 हैक्टेयर से बड़ी टाउनशिप या विकास योजना हो तो पर्यावरण मंत्रालय की स्टेट लेवल एनवायर्नमेंट इम्पैक्ट असैसमेन्ट ऑथोरिटी से क्लीयरेंस लेना जरूरी है।

लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाली संस्था और व्यक्तियों को आवेदन के साथ ही यह स्पष्ट करना होता है कि उसके प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। यदि होगा तो उसकी भरपाई के लिए वह क्या-क्या इंतजाम कर रहा है। इस बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रजेन्टेशन देने और एक्सपर्ट कमेटी की सहमति के बाद मंजूरी मिलती है।

(दै.भा., 06.08.12)

निवेशक शिक्षा

सेबी ने जयपुर में खोला दफ्तर

शेयरों या कम्पनियों में निवेश करने वाले अपनी समस्याओं का अब दिल्ली की बजाय जयपुर में ही समाधान करवा सकेंगे। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी)ने जेएलएन मार्ग स्थित जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लि.के भवन में अपना स्थानीय कार्यालय खोला है। सेबी के सदस्य राजीव कुमार अग्रवाल ने इस कार्यालय का उदघाटन करते हुए बताया कि इस कार्यालय के खोलने का मकसद प्रतिभूति बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों तक सेबी की पहुंच को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सेबी के पास निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए विस्तृत व्यवस्था है। इसके लिए सेबी द्वारा शैक्षिक व जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि निवेशक विश्वास के साथ निवेश के लिए सक्षम हो सके।

कार्यालय के खुलने से सेबी अधिक से अधिक निवेशकों तक पहुंच कर उन्हें बाजार के बारे में जानकारी प्रदान कर सकेगा। कार्यालय में निवेशक शिकायतों एवं मार्गदर्शन के लिए सम्पर्क कर सकेंगे। सेबी की अधिसूचना के अनुसार जयपुर स्थानीय कार्यालय बाजार नियामक के अहमदाबाद स्थित पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन होगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 05.08.12)*

दूरसंचार सेवाएं

मोबाइल टावर के लिए नई नीति

राज्य सरकार ने नई मोबाइल टावर नीति जारी कर दी है। अब अस्पताल, स्कूल और खेल मैदान पर टावर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह नीति नए टावरों के लिए ही लागू होगी। केन्द्र सरकार के रेडिएशन मापदंडों का पालन जरूरी होगा और वर्तमान में रेडिएशन की मात्रा को घटाकर 10 प्रतिशत करना जरूरी होगा।

नीति के खास प्रावधान

- *जेल परिसर के 500 मीटर के दायरे में टावर नहीं लगेंगे। इस दायरे में लगे टावरों को 6 माह में हटाया जाएगा।*
- *हेरिटेज संपत्तियों से 100 मीटर की दूरी पर टावर नहीं लगेंगे।*
- *टावर के लिए नगर निगम और नगर परिषद 30 हजार व नगर पालिका 20 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूल सकेगी। शहरी निकाय हर टावर के लिए सालाना 10 हजार रुपए किराया ले सकेंगे।*

टावर लगाने के लिए कम से कम 900 वर्गफीट का प्लॉट होना जरूरी होगा तथा पास में सड़क की चौड़ाई 30 फीट होना जरूरी है। मल्टीपल एंटीना लगाने की स्थिति में छत का उपयोग दूसरे कामों में नहीं किया जा सकेगा। जमीन या छत पर टावर लगाने पर टावर के निचले एंटीना से भवनों की दूरी तय की गई है। टावर पर दो एंटीना होने पर भवन की टावर से दूरी 35 मीटर, 4 एंटिना पर 45 मीटर, 6 एंटिना पर 55 मीटर, 8 एंटिना पर 65 मीटर, 10 एंटिना पर 70 मीटर और 12 एंटिना होने पर भवन की दूरी 75 मीटर जरूरी होगी। *(दै.भा.,02.09.12)*

वित्तीय सेवाएं

नि:शुल्क होगा ऑनलाइन ट्रांसफर

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वह एक लाख रुपए तक के ऑनलाइन ट्रान्सफर पर शुल्क को शून्य करने के लिए कदम उठाए, ताकि नगदी विहीन लेन-देन को बढ़ावा दिया जा सके।

फिलहाल, अधिकतर बैंक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में एक लाख रुपए तक ट्रांसफर करने पर पांच रुपए प्रति सौदे का अधिकतम शुल्क लेते हैं। इसी तरह नेफ्ट के जरिए 10 हजार रुपए तक के धन स्थानांतरण पर 2.50 रुपए तक का प्रति सौदा अधिकतम शुल्क है। सार्वजनिक बैंकों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि वे एक लाख रुपए तक के स्थानान्तरण पर शुल्क को शून्य करने के लिए कदम उठाएं। *(दै.भा., 26.09.12)*

उपभोक्ता फैसले

नर्सिंग होम को देना होगा सात लाख रुपए बतौर मुआवजा

नई दिल्ली निवासी रजत और शोभित ने अपनी माँ को हर्निया के ऑपरेशन के लिए एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के दौरान उनकी माँ को बेहोशी की दवा देने के बाद उसे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे वह कोमा में चली गई। ज्यादा हालत खराब होने पर उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। लेकिन सात दिन बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेहोशी की दवा देने के बाद खून में ऑक्सीजन की कमी सामने आई।

रजत और शोभित ने नर्सिंग होम और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पी.एन. गुप्ता के खिलाफ दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। राज्य आयोग ने नर्सिंग होम को उनकी माँ की मौत के लिए दोषी माना और एक लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया।

रजत और शोभित इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मामला राष्ट्रीय आयोग में दाखिल कर दिया। राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के फैसले को बरकरार रखा और मुआवजे की रकम बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दी। अब राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक नर्सिंग होम महिला के बेटों को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपए अदा करेगा। *(दै.भा., 13.08.12)*

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय पर छह हजार का जुर्माना

जालोर जिले के भागली पुरोहितान निवासी कपूर सिंह ने उपभोक्ता मंच में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 1999 में इस विश्वविद्यालय से स्वयंपाठी छात्र के रूप में एम.ए. की परीक्षा पास की थी। उन्हें विश्वविद्यालय से जो डिग्री प्राप्त हुई उसमें उनका नाम अमृत कुमार लिखा हुआ था। उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रार्थना-पत्र भेज कर नाम सही करने के लिए निवेदन किया। साथ ही जालोर के कॉलेज में भी इसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही के लिए भिजवाई। लेकिन बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद डिग्री में उनके नाम को सही नहीं किया गया। हारकर उन्होंने उपभोक्ता मंच की शरण ली हैं।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने विश्वविद्यालय को सेवा में कमी का दोषी माना। मंच ने अपने फैसले में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविधालय के कुलपति को आदेश दिया कि वे छात्र कपूर सिंह की डिग्री में लिखे नाम को सही करे और मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें 6000 रुपए भी अदा करे। *(दै.भा., 01.09.12)*

रिलायंस मार्ट को बिस्किट के ज्यादा दाम वसूलना भारी पड़ा

जोधपुर जिले के प्रतापनगर निवासी कमर अली ने उपभोक्ता जिला मंच में नामी कम्पनी रिलायंस मार्ट के खिलाफ परिवाद दायर किया और बताया कि रिलायंस मार्ट से उन्होंने अन्य जरूरी सामान के साथ एक बिस्किट का पैकेट भी क्रय किया था। कम्पनी ने जिस बिस्किट के पैकेट की कीमत पांच रुपए थी उसके 84 रुपए 58 पैसे वसूल कर लिए। उन्होंने इस बाबत कम्पनी द्वारा की गई गलती की ओर ध्यान भी दिलाया, लेकिन कम्पनी ने अधिक वसूल किए पैसे वापस नहीं लौटाए।

उपभोक्ता मंच के सामने सुनवाई के दौरान रिलायंस मार्ट की ओर से अधिक वसूली गई राशि वापस लौटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मंच ने उसे पर्याप्त नहीं माना तथा कम्पनी की इस कार्रवाई को सेवा में कमी माना। मंच ने मामले का निपटारा करते हुए रिलायंस मार्ट को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता कमर अली को 5000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करे। *(रा.प., 26.08.12)*

खास समाचार

सादे कागज पर भी अर्जी स्वीकारें

राजस्थान उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अशोक परिहार ने प्रदेश के जिला मंचों के पदाधिकारियों से कहा है कि यदि उनके पास कोई शिकायत सादा कागज पर भी आए तो उस पर गंभीरता से गौर करें और कानूनी प्रावधानों के तहत नोटिस जारी कर कार्रवाई करें। उन्होंने जिला उपभोक्ता मंच पदाधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून को 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक यह आम आदमी तक नहीं पहुंचा। क्योंकि इसे बनाने वालों ने भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं, जिससे कमियां रह गई। ऐसे में अब उपभोक्ता कानून में बदलाव की जरूरत है।

ये संशोधन जरूरी

- *परिवाद तय करने की सीमा तीन महीने है, लेकिन निपटारे में कई साल लगते हैं। मामले का तय समय पर निपटारे के प्रावधान कड़े हों।*
- *जिला मंचों को अधिकार दिए जाएं जिससे अदालती आदेश का पालन जल्द कराया जा सके। फिलहाल सरकार व प्रशासनिक अफसर उपभोक्ता मंच के आदेश का पालन करने में समय लगाते हैं।*
- *कानून उपभोक्ताओं के हितों के लिए है। शिकायत दायर करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।*
- *न्यूनतम फीस 100 रुपए है, जबकि अन्य अपराधिक मामलों में यह दो रुपए ही है। फीस कम की जाए।*

सम्मेलन में 37 जिला मंचों से आए पदाधिकारियों ने कहा कि गांवों में उपभोक्ता कानूनों के प्रचार प्रसार की जरूरत हैं। *(दै.भा., 21.07.12)*

हत्या से बड़ा अपराध मिलावटखोरी

राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने कहा है कि हत्या से भी बड़ा अपराध मिलावटखोरी है। उन्होंने इससे जागरूक होकर मुकाबला करने की जरूरत जाहिर की है। हाईकोर्ट लॉयर्स ऐसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होने कहा कि हत्या के मामले में तो अपराधी आंखों के सामने होता है, लेकिन मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वाले छद्म तरीके से वार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा वस्तुओं में मिलावट ऐसा धीमा जहर है, जो लोग पैसा देकर पूरे परिवार के लिए खरीदते हैं। पैसे का लालच और जल्दी धनवान बनने की होड़ कुछ लोगों से यह बुरा काम करवाते हैं। उन्होंने खाद्य व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने का आग्रह किया। *(रा.प., 01.08.12)*

केरोसिन सब्सिडी होगी खाते में जमा

उदयपुर, अजमेर, और अलवर जिले के उपभोक्ताओं को केरोसिन पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि अगस्त माह से सीधे खाते में मिलेगी। अभी उपभोक्ताओं को राशन के जरिए केरोसिन साढ़े तेरह रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इस व्यवस्था से एक लीटर पर अगस्त माह से उन्हें करीब 45 रुपए खर्च करने होंगे। उपभोक्ताओं के खाते खुलवाने का काम लीड बैंक पूरा करेगा। इससे पहले ऑयल कंपनी को रसद विभाग से उपभोक्ताओं की सूची प्राप्त कर बैंकों को देनी होगी। *(रा.प., 13.07.12)*

स्त्रोतः रा. प.: राजस्थान पत्रिका, दै. भा.: दैनिक भास्कर, न. नु.: नफा नुकसान, दै. न.: दैनिक नवज्योति, पं.के. पंजाब केसरी

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।